

## शासकीय सेवकों के डी.ए. में 8% की वृद्धि

### चर्चा में क्यों?

22 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों तथा स्थाईकर्मियों को देय महँगाई भत्ते की दर में अक्टूबर 2021 से 8 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी कर दिये हैं।

### प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को जनवरी 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से महँगाई भत्ता दिया जा रहा था। 21 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिविराज सिंह चौहान ने महँगाई भत्ता दर में 8% की वृद्धि की घोषणा की थी। इस प्रकार सातवें वेतनमान के अनुसार, अब 20 प्रतिशत महँगाई भत्ता देय होगा।
- महँगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए वित्त विभाग ने महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि महँगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
- इसके अतिरिक्त ऐसे सभी शासकीय सेवक, जो जुलाई 2020 या जनवरी 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि का काल्पनिक रूप से पात्रता है, उन्हें जुलाई 2020 से 1 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर कश्तों में किया जाएगा। पहली कश्त (50%) का भुगतान नवंबर 2021 में और दूसरी कश्त (50%) का भुगतान मार्च 2022 में होगा।
- 1 मार्च, 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके या होने जा रहे शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशिका भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।